

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ..... जसप्रीत सिंह ..... बनाम ..... काफू सिंह उर्फ मनीन्द्र सिंह  
 प्रकरण संख्या ..... 88 ..... / 2016 अन्तर्गत धारा ..... 88, 188, 91, 92A RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवम जो इस आ पालना में
27/09/23	अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्यवादी पेश नही करने पर बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यप्रतिवादी दिनांक 06/11/23 को पेश हो	
6/11/23	वकील फरीकन उर्फ श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 9/11/23 को पेश हो। <u>Kanna</u>	
9/12/24	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 12/2/24 को पेश हो। <u>Kanna</u>	
12/02/24	बार सभ का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 18/3/24 को पेश हो। <u>Kanna</u>	
18/03/24	अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्यवादी पेश नही करने पर बन्द की जाती है पत्रावली वास्ते साक्ष्यप्रतिवादी दिनांक 21/03/24 को पेश हो।	
21/03/24	अधिवक्तागण उपस्थित। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92A RTA नोटिफिकेशन किया। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र नोटिफिकेशन करने पर प्रकरण इसी दिनांक पर खारिज किया जाता है। पत्रावली गिणीति होकर नम्बर से काग होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Man Press



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्री करणपुर